[2018] 1 एस.सी.आर. 674

लवघनभाई देवजीभाई वासवा.

बनाम

गुजरात राज्य

(आपराधिक अपील सं. 253/2018)

10 जनवरी, 2018

**ए.के. सिकरी और अशोक भूषण, जेजे।**

दंड संहिता, 1860-धारा 302-के तहत दोषसिद्धि-यदि उचित हो-अपीलकर्ता-अभियुक्त (मृतक के पति) द्वारा मारा जाने के बाद उपचार के दौरान मृतक की मृत्यु हो गई, जब भोजन तैयार करने के संबंध में उनके बीच एक विवाद हुआ-अपीलकर्ता को विचरण न्यायालय द्वारा धारा 302 के अधीन दोषी ठहराया गया- उच्च न्यायालय द्वारा सज़ा को बरकरार रखा गया-अभिनिर्धारित किया गया कि: यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि यह घटना पल भर में हुई थी-मृतक द्वारा दोपहर का भोजन तैयार करने में देरी अचानक विवाद का कारण था, जब अपीलकर्ता ने एक लकड़ी की वस्तु को उठाया और मृतक को मारा-यह अभियोजन पक्ष का भी एक स्वीकार किया गया मामला है कि केवल एक ही प्रहार किया गया था-चिकित्सा साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक को प्रहार देने में बहुत अधिक बल का उपयोग नहीं किया गया था-अभियोजन पक्ष ने कोई भी मामला स्थापित नहीं किया था यह सुझाव देते हुए कि मृतक और अपीलकर्ता के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं था-इस प्रकार, यह एक अपराध था जिसे धारा 304 भाग-2 द्वारा कवर किया जाएगा-जबकि अपीलकर्ता की दोषीता को बनाए रखते हुए, उसका दंड धारा 302 के बजाय धारा 304 भाग-2 में बदल दिया गया-अपीलार्थी पहले ही लगभग 9 साल और 3 महीने के कारावास की सजा काट चुका है-मामले के तथ्यों में, अपीलार्थी की सजा पहले से ही कम हो गई है। किसी अन्य मामले में बंधित न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाये।

भारतीय दंड संहिता, 1860-धारा 302, 304-प्रश्न का निर्णय करते समय इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या कोई मामला धारा 302 या धारा 304 है-चर्चा की गई।

आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि-

1. अभियोजन का मामला खुद आगे बढ़ा कि घटना पल भर में हुई. 15.03.2008 को, जब मृतक अपनी मां के साथ कृषि क्षेत्र में श्रम कार्य के लिए गयी थी और वह दोपहर के आसपास घर लौटा, तो वह रसोई में दोपहर का भोजन तैयार कर रही थी, अभियोजन की कहानी के अनुसार जब अपीलकर्ता घर आया और मृतका से दोपहर का भोजन पकाने में देरी के बारे में पूछताछ किया। इस पर अपीलकर्ता और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ। उस समय, अपीलकर्ता क्रोधित हो गया और पल भर में, उसने घटना स्थल के पास पड़ी एक लकड़ी की

वस्तु को उठाया और मृतक को चोट पहुंचाई। अभियोजन पक्ष का यह भी स्वीकार किया गया मामला है कि केवल एक ही प्रहार किया गया था। मृतक की मृत्यु उक्त घटना के 10 दिन बाद हुई जब उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। यह अभियोजन पक्ष का स्वयं का मामला है । [पैरा 7] [677-ई-जी]

2. इस प्रश्न को तय करते समय जिन मापदंडों पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या कोई मामला धारा 302 आईपीसी या 304 आईपीसी के तहत आता है, वे निम्नलिखित हैंः (क) जिन परिस्थितियों में घटना हुई; (ख) हथियार का इस्तेमाल किया गया; (ग) क्या हथियार को ले जाया गया था या मौके से लिया गया था; (घ) क्या हमला शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर किया गया था; (ई) बल की मात्रा का उपयोग किया गया; (च) क्या मृतक ने अचानक लड़ाई में भाग लिया; (छ) क्या कोई पूर्ववर्ती शत्रुता थी; (ज) क्या कोई अचानक उकसावे की स्थिति थी; (1) क्या हमला जुनून की गर्मी में था; और (जे) क्या चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति ने कोई अनुचित लाभ उठाया या क्रूर या असामान्य तरीके से काम किया। [पैरा 8] [677-एच; 678-ए-डी]

3. अपीलार्थी का मामला धारा 304 आईपीसी के तहत आएगा क्योंकि यह घटना अचानक विवाद के कारण हुई थी जो मृतक द्वारा दोपहर का भोजन तैयार करने में देरी के परिणामस्वरूप हुई थी। अपीलकर्ता ने एक लकड़ी की वस्तु उठाई और मृतक को मारा। चिकित्सा साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक को प्रहार देने में ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए कोई मामला स्थापित नहीं किया था कि पति और पत्नी के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं था, अन्यथा। जाहिर है, घटना अचानक उकसावे के कारण हुई है और जुनून की गर्मी में अपीलकर्ता ने बिना किसी अनुचित लाभ के अपनी पत्नी पर प्रहार किया। इसलिए, यह एक अपराध था जो धारा 304 भाग-द्वितीय आईपीसी द्वारा कवर किया जाएगा, न कि 302 आईपीसी द्वारा। [पैरा 9] [678-डी-एफ]

धीरेंद्र कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य (2015) 3 स्केल 30-पर भरोसा किया।

केस लॉ रेफरेंस-

(2015) 3 स्केल 30 पैरा 8 पर निर्भर क्रिमिनल अपीलीय क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील नं. 253/2018

गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद द्वारा क्रिमिनल अपील नं. 978/2011 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 29.09.2015 से-

डॉ. सुशील बलवाड़ा, जय वाधवा, संदीप कालिया, सलाहकार- अपीलार्थी के लिए।

सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री जेसल वाही, सुश्री ममता सिंह, सुश्री शोधिका शर्मा, सलाहकार- उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति एके सिकरी, जे., द्वारा दिया गया-

1. अनुमति प्रदत्र की गयी।

2. हमने इस स्तर पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तगण को सुना है।

3. अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 302 के तहत अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा तथा रु. 500/- का जुर्माना देना होगा और डिफ़ॉल्ट रूप से, साधारण कारावास से गुजरने के लिए तीन महीने के लिए। इस सजा और दंड को उच्च न्यायालय ने 29.09.2015 के फैसले से पुष्ट किया गया है।

4. उक्त निर्णय के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर विशेष अवकाश याचिका में, सीमित पहलू पर नोटिस जारी किया गया था कि क्या धारा 302 आईपीसी के तहत सजा उचित है या इसे धारा 304 आईपीसी के तहत एक में परिवर्तित किया जाना चाहिए। इस पहलू पर ध्यान केंद्रित करने पर विचार किया गया है। अब हम तथ्यों को संक्षेप में दोहरा सकते हैं।

5. अभियोजन मामले के अनुसार, इस मामले की मूल शिकायतकर्ता, शांताबेन @धनीबेन सोमाभाई, मृतक शकुबेन की मां हैं। उसने 15.03.2008 को नबीपुर पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी मृतक शकुबेन की शादी लगभग आठ साल पहले फिचवाड़ा गांव के आरोपी लवघनभाई देवजीभाई वसावा से हुई थी। मृतक शकुबेन और आरोपी शिकायतकर्ता के गांव शाहपुरा के नवीनगरी में लगभग एक साल से रह रहे थे और मज़दूरी करके जीवन निर्वाह करते थे। घटना के दिन सुबह, मृतक शकुबेन और उसकी मां शांताबेन गांव के पटेल के खेत में निराई के काम के लिए गए थे, जहां भिंडी की फसल की खेती की गई थी। वे लगभग 1200 बजे घर लौटे। दोपहर में भोजन करने के लिए और उसकी बेटी अपने घर चली गई। जब शिकायतकर्ता अपने घर पर था, तो 6 साल की उम्र के विष्णु, मृतक शकुबेन का बेटा उसके घर आया और बताया कि उसकी माँ को उसके सिर पर पैर की खाट से मारा गया है और उसे खून बह रहा था। इसलिए, वह तुरंत मृतक के घर गई। उस समय, मृतक शकुबेन अचेत अवस्था में घर में चूल्हा के पास पड़ी थी और खाट का खून से सना हुआ पैर वहां पड़ा था। वहां एकत्र लोगों से यह पता चला कि भोजन तैयार करने के संबंध में मृतक और आरोपी के बीच एक विवाद हुआ था। जैसे ही आरोपी को उकसाया गया, उसने मृतक के सिर पर खाट का पैर मारा और भाग गया। जैसा कि मृतक के सिर से खून बह रहा था, शिकायतकर्ता की बेटी कालीबेन, उसकी गली के निवासी लालो अमीर वसावा और दिनेश काशीभाई वसावा मृतका शकुबेन को गांव के निवासी प्रवीणभाई गोपालभाई के एक ऑटो रिक्शा में भरूच के एक अस्पताल में ले गए। शिकायतकर्ता अपने घर लौट आया। प्रवीणभाई शाम को अपने रिक्शा के साथ घर लौटे और बताया कि मृतक को आगे के इलाज के लिए भरूच से वडोदरा भेजा गया है। इस प्रकार, ऐसी परिस्थितियों में, मूल शिकायतकर्ता शांताबेन ने पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।

6. जैसा कि पूर्वोक्त मुकदमे के समापन पर और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के विश्लेषण करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध की खोज की और उसे दोषी ठहराया और उसे धारा 302 आईपीसी के तहत सजा सुनाई। जहां तक घटना का संबंध है, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय बिना किसी कुर्मी के हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एकमात्र सवाल यह है कि क्या यह धारा 302 आईपीसी या 304 आईपीसी के तहत सजा का मामला था।

7. हमने इस संबंध में साक्ष्य का अवलोकन किया है। हम पाते हैं कि अभियोजन का मामला खुद आगे बढ़ता है कि घटना पल भर में हुई थी। 15.03.2008 को, जब मृतका अपनी मां के साथ कृषि क्षेत्र में श्रम के काम के लिए गयी थी और वह दोपहर के आसपास घर लौटी, तो वह रसोई में दोपहर का भोजन तैयार कर रही था, अभियोजन की कहानी के अनुसार, जब अपीलकर्ता घर आया और मृतका से पूछताछ की दोपहर के भोजन को पकाने में देरी। इस पर अपीलकर्ता द्वारा उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ। उस समय, अपीलकर्ता क्रोधित हो गया और पल भर में, उसने घटना स्थल के पास पड़ी एक लकड़ी की वस्तु को उठाया और मृतक को चोट पहुंचाई। अभियोजन पक्ष का यह भी स्वीकार किया गया मामला है कि केवल एक ही प्रहार दिया गया था। बड़ौदा अस्पताल में इलाज के दौरान उक्त घटना के 10 दिन बाद शकुबेन की मौत हो गई। यह अभियोजन पक्ष का ही मामला है।

8. धीरेंद्र कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य [2015) 3) स्केल 30] के मामले में इस न्यायालय ने उन मापदंडों को निर्धारित किया है, जिन्हें इस प्रश्न पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या एक मामला धारा 302 आईपीसी या 304 आईपीसी के तहत आता है, जो निम्नलिखित हैंः

(ए) जिन परिस्थितियों में घटना हुई;

(ख) प्रयुक्त हथियार की प्रकृति;

(ग) क्या हथियार ले जाया गया था या उसे मौक़े से लिया गया था;

(डी) क्या हमला शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर लक्षित था;

(ई) उपयोग किए गए बल की मात्रा।

(च) क्या मृतक ने अचानक लड़ाई में भाग लिया;

(छ) क्या कोई पिछली दुश्मनी थी;

(ज) क्या कोई अचानक उकसावे की स्थिति थी।

(1) क्या हमला जुनून की गर्मी में था; और (जीजे) क्या चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति ने कोई अनुचित काम किया क्रूर या असामान्य तरीके से लाभ या कार्य किया।

9. उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलकर्ता का मामला धारा 304 आईपीसी के तहत आएगा क्योंकि यह घटना अचानक विवाद के कारण हुई थी जो मृतक द्वारा दोपहर का भोजन तैयार करने में देरी के परिणामस्वरूप हुई थी। अपीलकर्ता ने एक लकड़ी की वस्तु उठाई और मृतक को मारा। चिकित्सा साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक को प्रहार देने में ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए कोई मामला स्थापित नहीं किया है कि पति और पत्नी के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे, अन्यथा जाहिर है, यह घटना अचानक उकसावे के कारण हुई थी और जुनून की गर्मी में अपीलकर्ता ने बिना किसी अनुचित लाभ के अपनी पत्नी पर प्रहार किया था। इसलिए, हमारी

राय है कि यह एक अपराध था जिसे धारा 304 भाग-द्वितीय आईपीसी द्वारा कवर किया जाएगा न कि 302 आईपीसी द्वारा।

10. यह अपील इस प्रकार, आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी की दोषिता को बनाए रखते हुए, उसकी सजा को धारा 302 आईपीसी के बजाय धारा 304 भाग- II, आईपीसी में बदल दिया जाता है। अपीलकर्ता पहले ही लगभग 9 साल और 3 महीने के कारावास की सजा काट चुका है। इस मामले के तथ्यों में, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता की सजा को पहले से ही कम अवधि के लिए कम किया जाना चाहिए। तदनुसार आदेश दिया गया।

11. यदि किसी अन्य मामले में बाधित नहीं हैं, तो अपीलकर्ता को तत्काल रिहा कर दिया जाए।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गयी है।

दिव्या पांडे

Jai Shankar Mishra